दिल्ली विधान सभा

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

§ सातवाँ प्रतिवेदन §

§ 27 नवम्बर, 2000 को सदन में प्रस्तुत §

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBER BILLS AND RESOLUTION

SEVENTH REPORT

(Presented on 27th November, 2000)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

पुराना सचिवालय, दिल्ली-54

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

OLD SECRETARIAT, DELHI - 110 054

दिल्ली विधान सभा सचिवालय

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति

सातवाँ प्रतिवेदन

§ 27 नवम्बर, 2000 को सदन में प्रस्तुत §

समिति का गठन

1.	चौ. प्रेम सिंह, माननीय अध्यक्ष	सभापति
2.	श्री मंगत राम सिंघल	सदस्य
3.	श्रीमती मीरा भारद्वाज	सदस्य
4.	श्री चरण सिंह कंडेरा	सदस्य
5.	श्री साहब सिंह चौहान	सदस्य
6.	श्री सुशील चौधरी	सदस्य
7.	श्री राम सिंह नेताजी	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री एस. के. शर्मा	सचिव
2.	श्री सिद्घार्थ राव	संयुक्त सचिव
3.	श्री जी. सी. मेहता	अवर सचिव

प्र ति वे द न

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति की 8·11·2000 को सम्पन्न बैठक में सचिवालय ने समिति को सूचित किया था कि वर्तमान सत्र के लिये सदस्यों से निम्नलिखित विधेयकों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनकी सचिवालय द्वारा जांच की जा रही है :-

1· दिल्ली शैक्षणिक संस्थानों एवं समितियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण विधेयक, 2000 -श्री मुकेश शर्मा

2· गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2000- श्री मुकेश शर्मा

3· आपराधिक कानून (रा·रा·क्षेत्र दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2000-श्रीमती किरण चौधरी

4· राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) (संशोधन) विधेयक, 2000 - डॉ·जगदीश मुखी

समिति ने निर्णय लिया कि इन विधेयकों की जांच की जाये और यदि आवश्यक हो तो विधि एवं अन्य प्रशासनिक विभागों से सलाह ली जाये और तत्पश्चात् इन विधेयकों को समिति की अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाये ।

सचिवालय ने समिति को बताया कि विधि विभाग की सलाह से इन विधेयकों की जांच की जा चुकी हैं और इनके बारे में विचार इस प्रकार हैं :-

क्र·सं·	विधेयक का नाम	विधि विभाग की रॉय
1·	दिल्ली शैक्षणिक संस्थानों एवं समितियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण विधेयक, 2000	क्योंकि दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र है, यह विषय दिल्ली विधान सभा के विधायी अधिकार से बाहर है ।
2·	गुरु गोबिन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2000	प्रस्तावित संशोधन सेवा-शर्तों से संबंध रखता है, जो कि उक्त विश्वविद्यालय के नियमों में संशोधन करके उचित रूप से प्रावधान किया जा सकता है और इस प्रकार से उक्त अधिनियम में संशोधन नहीं किया जा सकता ।

3·	आपराधिक कानून (रा·रा·क्षेत्र दिल्ली संशोधन) विधेयक, 2000	प्रस्तुत विधेयक में उद्देश्यों एवं कारणों का विवरण, प्रत्यायोजित विधान से संबंधित ज्ञापन, और वित्तीय ज्ञापन नहीं मिले हैं, इस प्रकार से विधेयक विधिवत् नहीं है ।
4·	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) विधेयक, 2000	विधेयक में वित्तीय शक्तियों का प्रावधान है अतः विधान सभा में पुरःस्थापित करने से पूर्व विधेयक पर भारत सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है । वित्तीय विधेयक होने के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-22 के अंतर्गत विधान सभा में पुरःस्थापित करने से पूर्व उपराज्यपाल की पूर्व संस्तुति प्राप्त करना आवश्यक है ।

विचार-विमर्श करने के बाद समिति ने क्र·सं·1, 2, और 3 पर स्थित विधेयकों के संबंध में निर्णय लिया कि सदस्यों को उनके विधेयकों में कमियों के बारे में अवगत करा दिया जाये ।

जहां तक दिल्ली विधान सभा के सदस्य (वेतन, भत्ते, पेंशन आदि) विधेयक, 2000 का संबंध है, समिति ने निर्णय लिया कि क्योंकि इस विधेयक में वित्त निहित है, अतः विधान सभा में विधेयक को पुरःस्थापित करने से पूर्व दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 की धारा-22 के अंतर्गत इस पर उपराज्यपाल की संस्तुति लेना आवश्यक है । अतः इस संबंध में उपराज्यपाल को लिखा जा सकता है ।

समिति ने श्री मंगत राम सिंघल और उनकी अनुपस्थिति में श्री साहब सिंह चौहान को सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किया ।

(चौ· प्रेम सिंह)
सभापति
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं
संकल्पों सम्बन्धी समिति

दिल्ली,
24 नवम्बर, 2000

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS'BILLS AND RESOLUTIONS

SEVENTH REPORT

(Presented on 27 November, 2000.)

CONSTITUTION OF THE COMMITTEE

1.	Ch. Prem Singh, Hon'ble Speaker,	Chairman
2.	Sh. Mangat Ram Singhal,	Member
3.	Smt. Meera Bhardwaj,	Member
4.	Sh. Charan Singh Kandera,	Member
5.	Sh. Sahab Singh Chauhan,	Member
6.	Sh. Sushil Chaudhary	Member
7.	Sh. Ram Singh Netaji,	Member

SECRETARIAT

1.	Sh. S.K.Sharma	Secretary
2.	Sh. Siddharath Rao,	Joint Secretary
3.	Sh. G.C.Mehta,	Under Secretary

REPORT

In the meeting of Private Members' Bills and Resolutions held on 8.11.2000, The Secretariat informed the committee that for the current session, notices of following Bills have been received from the members which are under examination in the Secretariat.

1. The Delhi Reservation for other backward Classes in Education instituations and committees Bill, 2000 by Sh. Mukesh Sharma.
2. The Guru Gobind Singh Indraprastha University(Second Amendment) Bill, 2000 by Sh. Mukesh Sharma.
3. The Criminal Law (National Capital Territory of Delhi Amendment) Bill, 2000 by Smt. Kiran Choudhry.
4. The Delhi Member of Legislative Assembly of NCT of Delhi (Salary, Allowances, Pensions ect., Amendment) Bill, 2000 by Dr. Jagdish Mukhi.

The Committee had decided that these Bills may be examined in consultation with Law and other administrative Deptts. if necessary and thereafter placed before the committee for consideration in its next meeting.

Secretariat apprised the committee that the Bills have been examined in consultation with the Law Department and the views are indicated against each:-

Sr.No.	Bill	Opinion of Law Deptt.
1.	The Delhi Reservation for other backward classes in Educational institutions and committees Bill, 2000.	Since Delhi is a Union Territory, the subject matter of the Bill is outside the Legislature competence of the Assembly of Delhi.

Contd...2/-

2.	The Guru Gobind Singh Indraprastha University (Second Amendment) Bill, 2000.	The proposed amendment relates to the conditions of service which can appropriately be provided for by amending the statutes/rules of the said University and as such no amendment in the said Act. is called for.
3.	The Criminal Law (National Capital Territory of Delhi Amendment) Bill, 2000.	Statement of objects and Reasons, Memorandum regarding delegated Legislation and Financial Memorandum with respect to the Bill have not been received. Hence the Bill is not in order.
4.	The Delhi Members of Legislative Assembly of NCT of Delhi(Salary Allowances, Pensions etc., Amendment) Bill,2000.	Bill involves financial implications due to which it is further necessitated to obtain the approval of the Govt. of India before the Bill is allowed to be introduced in the Legislative Assembly. It being a financial Bill, prior recommedations of the L.G. under section 22 of the Govt. of N.C.T. of Delhi Act. 1991 for the introduction in the Legislative Assembly will be required.

The Committee after deliberations decided that in respect of Bills of Sr. 1, 2, & 3, the members be informed about the deficiencies in their Bills.

As regard the Delhi Members of Legislative Assembly of N.C.T. of Delhi Salaries, Allowance, Pension (Amendment)Bill, 2000, the committee decided that as the Bill involves financial implications, recommendations of the L.G. U/s 22 of N.C.T. Act would be necessary before introduction of the Bill in the Assembly. Hence a reference be made to the L.G. in this regard.

The committee authorised Sh. Magat Ram Singhal & in his absence Sh. Saheb Singh Chauhan to present the report of the committee to the House.

(CH. PREM SINGH)
CHAIRMAN

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS
BILL AND RESOLUTIONS

DELHI
24th November, 2000.